

58 सांसदों ने दिया जज पर महाभियोग चलाने का नोटिस जस्टिस पारदीवाला ने की थी आरक्षण विरोधी टिप्पणी

नई दिल्ली/अहमदाबाद @
पत्रिका. गुजरात हाईकोर्ट के जज



जेबी पारदीवाला
द्वारा आरक्षण के
विरोध में कथित
तौर पर की गई
एक टिप्पणी को
लेकर 58

राज्यसभा सांसदों ने उन पर
महाभियोग चलाने का नोटिस दिया
है। कांग्रेस के ऑस्कर फर्नांडीज,
सीपीआई के डी राजा, जदयू के
केसी त्यागी सहित 58 सांसदों ने
जज को हटाने के लिए महाभियोग
के नोटिस पर हस्ताक्षर किए और
राज्यसभा अध्यक्ष को सौंप दिया।

जज ने कहा था

जस्टिस पारदीवाला ने पटेल
आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक
पटेल के खिलाफ देशद्रोह का
आरोप हटाने से इनकार करते हुए
हाल ही में कहा था, 'यदि कोई
मुझसे दो ऐसी चीजें बताने को कहे
जिसने देश को बर्बाद कर दिया है
या जिसने देश को सही दिशा में
प्रगति नहीं करने दी है, तो मैं कहूँगा
कि ये आरक्षण और भ्रष्टाचार हैं।
संविधान जब बना तो कहा गया था
कि आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ
10 साल के लिए की गई है।
लेकिन दुर्भाग्य से यह 65 साल
बाद भी लागू है।'

इन पर चला महाभियोग

स्वतंत्र भारत में दो जजों को
महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जा
चुका है। 1993 में पंजाब व
हरियाणा हाईकोर्ट के सीजे रहे जी
रामास्वामी के खिलाफ लोकसभा
में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया।

पढ़ें 58 सांसदों @ पेज 9

58 सांसदों...

लेकिन बोटिंग में गिर गया था। 2011
में कलकत्ता हाईकोर्ट के सीजे सौमित्र
सेन के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव
आया। उन्हें हटा दिया।

50 सदस्यों के हस्ताक्षर की
जरूरत : राज्यसभा में महाभियोग
संबंधी याचिका देने के लिए इस पर
न्यूनतम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने
चाहिए। इस बीच जस्टिस
पारदीवाला ने अपने पूर्व के आदेश से
आरक्षण संबंधित विवादित टिप्पणी
हटा दी।

पत्रिका

Sat, 19 D
epaper.p

पत्रिका

Sat, 19
epaper.

आरक्षण पर टिप्पणी, जज की कुर्सी खतरे में

58 सांसदों ने राज्यसभा में पेश किया महाभियोग

नई दिल्ली/अहमदाबाद | आरक्षण पर टिप्पणी करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जेबी पारडीवाला की कुर्सी खतरे में हैं। राज्यसभा के 58 सांसदों ने सभापति को महाभियोग प्रस्ताव देकर पारडीवाला को हटाने की मांग की है। इसके बाद जज ने विवादित पैराग्राफ फैसले से हटा लिया। लेकिन, इसके बाद भी उनका संकट टला नहीं है। सभापति हामिद अंसारी के सामने पेश याचिका में सांसदों ने कहा, 'यह दुखद है। शेष | पेज 6

यह कहा था : जस्टिस पारडीवाला ने पटेल आंदोलन के दौरान एक सुनवाई में कहा था- यदि मुझे पूछा जाए कि कौन सी दो बातें हैं, जिन्होंने देश को बाबाद किया। तब मेरा जवाब होगा, पहला-आरक्षण और दूसरा-भष्टाचार। हमारा सविधान बना था, तब आरक्षण दस साल के लिए रखा था। लेकिन दुर्भाग्य से आजदी के 65 साल बाद भी आरक्षण बना हुआ है।

आरक्षण पर टिप्पणी...

जज को अजा-अजजा से जुड़ी नीतियों के संवेधानिक प्रावधानों की जानकारी नहीं है। जज की टिप्पणियों के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है।'

सरकार के कहने पर हटाया पैराग्राफ : हाईकोर्ट के फैसले पर विवाद बढ़ता देख गुजरात सरकार ने शुक्रवार को आदेश में संशोधन की मांग की। राज्य सरकार की दलील थी, "पैराग्राफ-62 में की गई टिप्पणी प्रस्तुत यापने से मेल नहीं खाती। इन्हें हटाया जाए।" हाईकोर्ट ने अंसारी को मंजूर कर लिया और विवादित पैराग्राफ हटा दिया।

अब महाभियोग प्रस्ताव का क्या होगा? : जिस टिप्पणी को लेकर महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है, वह हटा ली गई है। अब प्रस्ताव का क्या होगा? इस पर वारिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने कहा, 'महाभियोग का आवेदन दिया जा चुका है। जब तक जज संसद को लिखार नहीं देते कि टिप्पणी हटा ली है, तब तक कार्यवाही चलती रहेगी।' वहीं, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का कहना है कि महाभियोग प्रस्ताव दो ही सूत में खत्म होगा। संसद अपना प्रस्ताव बापस ले या सभापति जज के लिखित आशवासन से संनुष्ठ हो। वरना कार्यवाही चलती रहेगी।'

इन सांसदों ने किए हैं याचिका पर हस्ताक्षर : आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, अंशुकीनी कुमार, पीपल पूर्णिया, राजीव शुक्ला, ओस्कर फनडील, अंबिका सोनी, बीके हार्प्रसाद (सभी कांगड़ा), डी. राजा, केएन बाल्योपाल, शरद यादव (जदयू), एससी मिश्रा और नरेंद्र कुमार कश्यप, तिरुचि शिवा (डीएमके) और डीपी त्रिपाठी (एनसीपी)।

